



(9)

Handwritten notes and calculations:

75 40 3
 13 - -
 51.49
 26.25
 10.50
 106.24

22
 25
 32

१. लेख्यकारी -> श्री प्रेम दास पिता स्व. श्री श्यामधन
 लाल जाति कावस्थ निवासी ग्राम
 भरथ डाकघर बेदीली (अम्बा) थाना
 फुडुम्बा जिला श्रीरंगबाद वर्तमान
 निवासी सुफला कालेनी हीमू संघी
 जिला राँची मजिफा रैती भारतीय हैं

२. लेख्यकारी -> १. श्री अलख कुमार पिता श्री प्रेम
 २. श्री संत शरण दास जीवित
 जाति कावस्थ निवासी ग्राम भरथ
 डाकघर बेदीली (अम्बा) थाना फुडु-
 म्बा जिला श्रीरंगबाद जीविका रैती
 वे नौकरी भारतीय हैं

Vertical handwritten text on the right side of the page, possibly a list of names or addresses.



(2)

३ किण्व-पत्र → विक्रय-पत्र
(Sale deed)

४ मूल्य → १००० (एक हजार रुपये) मात्र जिसका
सका प्राधा ५०० रुपये हैं।

५ विक्रय-पत्र X-59 (एक कट्टा) मात्र भूमि जिसका
वार्षिक राजस्वकर X-92 पैसा मात्र
अन्व कर अतिरिक्त। गीजा मन्थ
शाना कुदुम्बा जिला श्रीगोवाड।
X-58 (चार कट्टा) मात्र भूमि जिसमें गीरा
पत्र द्वारा गणम तो खन्ड जिसका वार्षिक
म्युनिसिपैटी टैक्स १३-२० पैसा मात्र
जो म्युनिसिपैटी क्षेत्र डाल्टेन गंज के
अन्व है। सर्वाधिकार सहित विक्री कर
है मन्थला कुन्ड, डाल्टेन गंज शाना डाल
टेम गंज जिला (श्रीगोवाड) पलामु शाना
एलिट चौकली सर्वेण्डे हाउसिंग की संस्था
अभिम लियत है।


विक्रय-पत्र

विक्रय-पत्र

गो. विक्रय-पत्र
विक्रय-पत्र
विक्रय-पत्र

क्रमांक	प्लॉट नं.	खजाना	वृत्त	क्षेत्रफल	मूल्य
१२ - (वारह)	३३२ (ताम शी उनवाप्स)	X-59	जोशर फिउ	वापवा लख आर दुलाधीन	

X-59 (एक कट्टा) मात्र गीजा
मन्थ शाना कुदुम्बा जिला श्रीगोवाड
श्रीगोवाड शाना कुदुम्बा जिला श्रीगोवाड
श्रीगोवाड शाना कुदुम्बा जिला श्रीगोवाड



(8)

सर्वेन्द्र मकान होल्डिंग नं० वाडिनं० राराजी चौहकी
408 - 20 - 99 - X-58 30 जगद्विप दूष
(सकली पार) (पवासो) (रुगारह) 50 रामेश्वर साव

20 नाला
40 रोड

वीसीएच
68
X-58 (चार कटा) सात्र
महल्ला कुण्ड, डालटेन गंज, थाना डालटेन
गंज जिला पलामू में स्थित है


प्रम. सं. 291-25

सब निबंधन एवं जिला निबंधन कार्यालय
डालटेन गंज नाम मालिक बिहार राज्य
खिचल कार्यालय डालटेन गंज
Daltonganj

वह के लिये धारि नम्बर एक श्री अक्षय कुमार को
महल्ला कुण्ड, डालटेन गंज के विक्रीत मकान को
खण्ड में जमीन पूरव तरफ को कटा हिस्सा रहे-
गा सम्बन्ध धारि नम्बर दो श्री संत शरण
को विक्रीत मकान को खण्ड में जमीन को कटा
पश्चिम तरफ हिस्सा रहेगा जिनो लिये धारि को
संज्ञा पश्चिम तरफ रहेगा। लिये धारि नम्बर
दो श्री संत शरण जब भी मकान बनायेगा
लिये धारि नम्बर एक श्री अक्षय कुमार को
मैन रोड पश्चिम तरफ निकलने के लिये रूपाने
हिस्से का जमान में से 30 फीट चौड़ा रस्ता के

जारी - विनीत - पसाद

सा. म. सं.
थाना - डालटेन
जिला - पलामू, बिहार
21/11/82



5R5

लिख छोड़ कर जमापों तथा लेख्यकारी नम्बर
 के एक प्रमाणपत्र कुमार भी अपने हिस्से का
 जमाने से 2 1/2 फीट चौड़ा शस्त्रा तथा पानी
 निकाली के लिख छोड़ कर अपना मफान बना
 वेगी।

उपरोक्त विहित मफान को भूमि लेख्यकारी को
 वजरीय पत्रिका विक्रय-पत्र जिसका किताब नं०
 9 जिसके सं० 27-28 पृष्ठ सं० 266 से 270
 निर्धारित सं० 8813 किनाई 96 बर्चस से
 द्वारा भी पंचाल कास पिना सं० श्यामधन कास
 से प्राप्त किया हुआ है जिस पर अधिकार क्षेत्र
 एवं अभिग लेख्यकारी का चला आ रहा है इस
 समय अन्याय कर्मों में व्यव करने के लिए सुवि
 की आवश्यकता उपस्थित है अतः संपत्ति मिलने
 का अन्य कोई शुद्ध साधन न देख कर उपरो
 प्त संपत्ति को विक्रय कर केना आवश्यक समझा
 प्रत्यक्ष के राय से समथानुक्रम इसका अंदाज
 मुख्य केवल 9000 रुपये निर्धारित हुआ लेख्य
 चारी विक्रय-पत्र लिखवाना स्वीकार किया।

27-28-27

इसलिए लेख्यकारी शरीर से मन से पूर्ण रूप
 रथ्य हालत में अपना काम-काज को माली
 मॉरि सौध विचार कर अनुरोध करवा पायों में
 अधिक भूमि को मफान प्राप्त पर लेख्यकारी को
 पूर्ण अधिकार है तथा इसके अधिनस्थ संपत्ति
 जो कुछ भी है अथवा भविष्य में जो होगा
 अधिधिकार केवल 9000 रुपये में
 उपरोक्त लेख्यकारी के लिये देया एवं संपत्ति
 अधिकार हस्तांतरण करके इसका स्थायी स्वामी

(3)

व्यक्ति द्वारा यह ले विक्री का काम तो सख्त
लेखाकारी तथा इनके अधिकारी को सम्पूर्ण
रूप से अधिकार नहीं है। तथा इनके द्वारा
सूचना प्राप्त गुणवत्ता प्राप्त है।

अपने लेखाकारी विक्री का काम तो सख्त
पर लेखाकारी का नाम सख्त वस्तु रूप
का नाम बिना सूचना के अधिकारियों में
तथा सूचना के भी या भी नहीं जहाँ जहाँ
प्रकार लगभग सुपाह कर ले जाते तथा निधीति
सख्तपत्तार अधिपति रूप से बिना सूचना के
सूचना के भी सूचना अपना अधिकार रूप
का मजि पूरा उपयोग में लावेगा।

2022-2023

अधिकारी विक्री का काम तो सख्त पर लेखाकारी
तथा इनके अधिकारी का अधिकार अधिक
है। सूचना किसी तरह का लेखा तथा अधिकार
सूचना रूप प्रदान मार नहीं है। सूचना इसके मात्र-
सूचना करी तथा इनके अधिकारी के कर्तव्य
के अनुसार लिख ले या विक्री का काम तो सख्त
के अनुसार सूचना किसी भी अधिकार है।
विक्री का काम तो सख्त पर लेखाकारी तथा इनके
का नाम सूचना के साथ लेखाकारी तथा इनके
अधिकारी सूचना के अनुसार ही लेगा यह
सूचना के साथ सूचना के साथ ही लेगा तथा
यह सूचना तथा सूचना के साथ ही लेगा तथा
व्यवहार होगा, सूचना के साथ ही लेगा तथा
दिया के अनुसार ही सूचना पर काम होगा।

सूचना के साथ ही लेगा तथा इनके
का नाम सूचना के साथ ही लेगा तथा
यह सूचना के साथ ही लेगा तथा
व्यवहार होगा, सूचना के साथ ही लेगा तथा
दिया के अनुसार ही सूचना पर काम होगा।

प्रमाण -

दिनांक - नवम्बर 1957 ई.सी.
सं. 9-1-57

विक्री का काम तो सख्त पर लेखाकारी
तथा इनके अधिकारी का अधिकार अधिक
है। सूचना किसी तरह का लेखा तथा अधिकार
सूचना रूप प्रदान मार नहीं है। सूचना इसके मात्र-
सूचना करी तथा इनके अधिकारी के कर्तव्य
के अनुसार लिख ले या विक्री का काम तो सख्त
के अनुसार सूचना किसी भी अधिकार है।
विक्री का काम तो सख्त पर लेखाकारी तथा इनके
का नाम सूचना के साथ लेखाकारी तथा इनके
अधिकारी सूचना के अनुसार ही लेगा यह
सूचना के साथ सूचना के साथ ही लेगा तथा
यह सूचना तथा सूचना के साथ ही लेगा तथा
व्यवहार होगा, सूचना के साथ ही लेगा तथा
दिया के अनुसार ही सूचना पर काम होगा।